संख्या- 5/2026/47/59-2-2026/004-1804569

प्रेषक,

सुनील कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 16 फरवरी, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-5 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश माटीकला बोर्ड हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष चतुर्थ किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाप्रबन्धक, उ0प्र0 माटीकला बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक-7045-47/मा0क0बो0/बजट-06(6)/2025-26, दिनांक 22.01.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-5 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश माटीकला बोर्ड हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 1150.00 लाख (रू0 ग्यारह करोड़ पचास लाख मात्र) के सापेक्ष शासनादेश संख्या-20/2025/198/59-2-2025/001-1804569, दिनांक 25 अप्रैल, 2025 द्वारा प्रथम किश्त की धनराशि रू0 287.50 लाख (रूपये दो करोड़ सत्तासी लाख पचास हजार मात्र) एवं शासनादेश संख्या-42/2025/391/59-2-2025/002-1804569, दिनांक 02 सितम्बर, 2025 द्वारा द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 287.50 लाख (रूपये दो करोड़ सत्तासी लाख पचास हजार मात्र) तथा शासनादेश संख्या-2/2026/560/59-2-2025/003-1804569, दिनांक 05 जनवरी, 2026 द्वारा तृतीय किश्त की धनराशि रू0 287.50 लाख (रूपये दो करोड़ सत्तासी लाख पचास हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के उपरान्त योजनान्तर्गत अवशेष चतुर्थ किश्त की धनराशि रू0 287.50 लाख (रूपये दो करोड़ सत्तासी लाख पचास हजार मात्र) को निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत निर्गत किये जाने एवं उसे निदेशक, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 के निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

नियम व शर्तो/ प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा।

(2) किसी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व से आहरित करके एकमुश्त बैंक खाते/ अन्य किसी खाते में नहीं रखा जायेगा।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन/मद के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि की स्वीकृति की जा रही है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का नियमानुसार उपयोगिता प्रमाण-पत्र उ0प्र0 माटीकला बोर्ड द्वारा शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त किया जायेगा तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए महाप्रबन्धक, उत्तर प्रदेश माटीकला बोर्ड उत्तरदायी होंगे।

(7) उक्त स्वीकृत का व्यय उ0प्र0 माटीकला बोर्ड के पत्रांक-288/मा0क0बो0/बजट-06(6)/2025-26, दिनांक 11.04.2025 में संलग्न की गयी कार्ययोजना के अनुसार ही किया जायेगा।

(8) उक्त स्वीकृत धनराशि का लेखा, महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज या उनके द्वारा मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा जांच के लिए उपलब्ध रहेगा। यह लेखा कम्प्ट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल या उनके मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा टेस्ट आडिट के लिए उपलब्ध रहेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 2,87,50,000 (रूपये दो करोड़ सत्तासी लाख पचास हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या-**005 **लेखा शीर्षक** 2851001053100 उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड **मानक मद-**20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)' के अन्तर्गत व्यवस्थित धनराशि के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-6-144-X-2025-26, दिनांक 13.02.2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

सुनील कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या- 5/2026/47(1)/59-2-2026/004-1804569 तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3-मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ।
4-महाप्रबन्धक, उ0प्र0 माटीकला बोर्ड, लखनऊ
5-मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7-निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
8-वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0 माटीकला बोर्ड, लखनऊ।
9-निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
10-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुनील कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।